न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

कालु सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह, जाति- राजपुरोहित,
निवासी- टांकरिया गली नं. 3, पुरोहित हॉस्टल के सामने, सिरोही, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)
फर्मः- रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार, धनलक्ष्मी मार्केट, शॉप नं.12, सिरोही, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 07/2020

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अभियुक्त कालु सिंह राजपुरोहित

-: निर्णय :- **दिनांक 17 फरवरी, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 20.6.2019 को समय 2.15 पी.एम. पर फर्म रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार, ध्सनलक्ष्मी मार्केट, शॉप नं. 12, सिरोही, जिला- सिरोही पर पँहुचा। खाद्यकारोबारकर्ता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति कालु सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- टांकरिया गली नं.3, पुरोहित हॉस्टल के सामने, सिरोही, जिला- सिरोही एवं फर्म रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार, धनलक्ष्मी मार्केट, शॉप नं. 12, सिरोही, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता को खाद्य पदार्थ खोया बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय हेतु डीप फ्रिज में रखे हुए 20-20 किलोग्राम के 4 टिन कंटेनरों में से एक टिन कंटेनर को खोलकर देखा, आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ खोया के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की व टिन में मौजूद खोया को कौचे से अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए खोया में से एक किलोग्राम खोया एक साफ, खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत रुपये 180/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद

.....पेज दो पर

प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के जार दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीद शुदा खोया को चारों साफ सूखी, खाली प्लास्टिक जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा व प्रत्येक बोतले में 20-20 बूंदे फार्मेलीन की डाली तथा जारों को कार्क से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-966 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता कालु सिंह राजपुरोहित राम ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 21.6.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 21.6.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ खोया की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता कालु सिंह राजपुरोहित से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना S-966 असुरक्षित खाद्य पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता कालु सिंह राजुपरोहित को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच हेतु अपील आवेदन 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। द्वितीय जांच का

....पेज तीन पर

आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने नमूने का दूसरा भाग जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर भिजवाया। निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर की जांच रिपोर्ट के आधार पर नमूना संख्या S-966 अमानक (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। इस प्रकरण में अभियुक्त ने अमानक खोया का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.2.2020 को प्रतिवादी कालु सिंह इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 20.6.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरोही श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा मावा खोया का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया था। वह मैंनें बीकानेर से बिक्री हेतु खरीदा था तथा मैंनें नया नया काम शुरु किया था। मै एक छोटा दुकानदार हूँ, भविष्य में इस तरह के मावे की बिक्री नही करुंगा। मैंनें इस प्रकार के मावे की बिक्री बन्द कर दी है। मेरी प्रथम गलती मान कर माफ करावे। भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करुंगा।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी सोहन राम द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 17.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी कालु सिंह राजपुरोहित ने उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.6.2019 को समय 2.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार, धनलक्ष्मी मार्केट, शॉप नं. 12, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से कालु सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहनसिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- टांकरिया गली नं. 3, पुरोहित हॉस्टल के सामने, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ खोया बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा

.....पेज चार पर

अधिकारी द्वारा उक्त फर्म रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार के निरीक्षण के दौरान डीप फिज में आम जनता के विक्रय हेतु रखे हुए 20-20 किलोग्राम के 4 टिन कंटेनरों में से 1 कंटेनर को खोलकर देखा। आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ खोया के अमानक का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कालु सिंह राजपुरोहित को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने टिन में मौजूद खाद्य पदार्थ खोया को कोंचा से हिलामिला कर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये गये खाद्य पदार्थ खोया में से एक किलोग्राम खोया को एक साफ सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 180/- (अक्षरे रुपये एक सौ अस्सी मात्र) विक्रेता कालु सिंह राजपुरोहित को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता कालु सिंह राजपुरोहित एवं उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के जार दिखाकर खरीद शुदा खोया को चारों साफ सूखे, खाली प्लास्टिक जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा व प्रत्येक जार में 20-20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर जारों को कॉर्क से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-966, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता कालु सिंह राजपुरोहित एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-966को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता कालु सिंह राजपुरोहित व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता कालु सिंह राजपुरोहित, उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार, धनलक्ष्मी मार्केट, शॉप नं.12, सिरोही, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कालु सिंह राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ खोया को नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

....पेज पांच पर

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 21.6.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.6.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ खोया का नमूना संख्या S-966 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./501/Act/2019/568 दिनांक 05.7.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार, धनलक्ष्मी मार्केट शॉप नं.12, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता कालु सिंह राजपुरोहित से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना असुरक्षित खाद्य होना पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य कारोवारकर्ता कालु सिंह राजपुरोहित को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच हेतु अपील आवेदन 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता कालु सिंह राजपुरोहित द्वारा नमूनें के द्वितीय भाग की जांच कराने हेतु अपील आवेदन अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा नमूनें का द्वितीय भाग जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर को भेजा गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ खोया की निदेशक, रेफरल लेब्रोरेट्री, मैसूर द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रेषित Certificate of analysis No.325F/FSSA/2019(Amended) दिनांक 20.11.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार, धनलक्ष्मी मार्केट शॉप नं.12, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता कालु सिंह राजपुरोहित से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कालु सिंह राजपुरोहित ने अमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की

....पेज छः पर

धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त कालु सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहनसिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- टांकरिया गली नं.3, पुरोहित हॉस्टल के सामने, सिरोही, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, रिद्धी सिद्धी मावा भण्डार, धनलक्ष्मी मार्केट शॉप नं.12, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी कालु सिंह राजपुरोहत पुत्र श्री मोहनसिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- टांकरिया गली नं.3, पुरोहित हॉस्टल के सामने, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: